

## ट्रांसकोर्प प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण “नियम व शर्तें”

### 1. परिभषाएँ:-

अर्द्ध-बंद प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई): पीपीआई (कार्ड / वॉलेट) भुगतान इंस्ट्रूमेंट है जो उपकरणों पर संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वितीय सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं आदि की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे इन इंस्ट्रूमेंट से नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी।

अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी): ट्रांसकोर्प ने ग्राहकों की पहचान करने व ग्राहकों की पहचान को सत्यापन करने के लिए यह दिशानिर्देश अपनाए है।

व्यक्तिगत पहचान संख्या (पीपीआई): पिन एक संख्यात्मक पासवर्ड है जो सौंपी गयी किट का हिस्सा है जिसे पीपीआई जारी करते समय ग्राहक को सौंपा जाता है।

धारक/ग्राहक: व्यक्ति/संगठन जो ट्रांसकोर्प से पीपीआई प्राप्त/खरीदता है वह उसका उपयोग उपकरणों पर संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वितीय सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि की खरीद में करता है।

### अर्द्ध-बंद प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) गिफ्ट कार्ड के लिए नियम व शर्तें”

उपयोग: इस पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ही किया जा सकता है फण्ड के ट्रांसफर में नहीं।

सोमा: इस पीपीआई कार्ड को एक बार में 10,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा तथा इसे दोबारा रिलोड नहीं किया जाएगा।

लोडिंग: इस पीपीआई कार्डको मात्र बैंक खाते से ही लोग किया जाएगा। नगद लोडिंग की अनुमति नहीं है।

उन्नयन/अपग्रेड: इस पीपीआई कार्डों को फुल केवाईसी से उन्नयन/अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

समापन: इन पीपीआई कार्डों को धारक द्वारा कम्पनी से प्रार्थना करके कभी भी बंद किया जा सकेगा। पीपीआई कार्ड मे बचा हुआ पैसा (यदि हो) कम्पनी के

उसी स्त्रोत में स्थांतरित कर दिया जाएगा जिस बैंक खाते पीपीआई को लोड किया था।

निष्क्रियता फीस: कार्ड के समाप्त (expire) हो जाने परी ग्राहक से प्रत्येक माह 500/- सेवा शुल्क लिया जाएगा। ग्राहक से आवश्यक फीस के साथ कार्ड जारी किये जाने के औपचारिक पत्र प्राप्त होने पर उसे नया कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यदि समाप्त (expire) हुए कार्ड से निष्क्रियता फीस वसूलने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो उक्त फीस का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जाएगा। आखिरी फैसला पीपीआई जारीकर्ता द्वारा लिया जाएगा।

### नए प्रकार के प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नियम व शर्तें

ऐसे पीपीआई जारी करने के लिए ग्राहक से न्यूनतम विवरण प्राप्त करना होगा:— जैसा कि कंपनी द्वारा समय—समय पर तय किया जाता है।

उपयोग: इस पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ही किया जा सकता है फण्ड के ट्रांसफर में नहीं।

सीमा: इस पीपीआई कार्ड को किसी भी माह मे 10,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष के दौरान 1,20,000/- से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा। ऐसे कार्ड मे किसी भी समय बकाया राशि 10,000/- से ज्यादा नहीं होगी।

लोडिंग: इस पीपीआई कार्डको मात्र बैंक खाते से ही लोग किया जाएगा। नगद लोडिंग को अनुमति नहीं है।

उन्नयन/अपग्रेड: ऐसे पीपीआई कार्ड को कंपनी द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करके पूर्ण सेवाईसी में अपग्रेड किया जा सकता है (जहां सीमा 2 लाख/माह या किसी भी बिंदु पर 1 लाख होगी) किसी भी समय केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके।

समापन: इन पीपीआई कार्डों को धारक द्वारा कम्पनी से प्रार्थना करके कभी भी बंद किया जा सकेगा। पीपीआई कार्ड मे बचा हुआ पैसा (यदि हो) कम्पनी के उसी स्त्रोत में स्थांतरित कर दिया जाएगा जिस बैंक खाते पीपीआई को लोड किया था।

2. प्रीपेड ग्राहक के दायित्व जिसने ट्रांसकोर्प से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदा है:

- क. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) एक ग्राहक को ट्रांसकोर्प पोस्ट के विवेकाधिकार पर “अपने ग्राहक को जाने” दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जारी किया जाएगा।
- ख. ट्रांसकोर्प/पार्टनर/एसोसिएट वेबसाइट पर प्रदर्शित और वेबसाइट “नियम और शर्तें” पर उपलब्ध शुल्कों की अनुसूची के अनुसार ट्रांसकोर्प प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को जारी करने/उपयोग करने के लिए शुल्क लगाएगा।
- ग. पीपीआई के संचालन के लिए ट्रांसकोर्प ग्राहक को एक पिन जारी करेगा। पिन के दुरुपयाग को रोकने के लिए ग्राहक को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ग्राहक उचित देखभाल और एहतियात के अभाव में किसी भी दुरुपयोग के परिणामस्वरूप पिन के प्रकटीकरण और/या पीपीआई के अनधिकृत उपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ग्राहक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के किसी भी अनधिकृत उपयोग और इस तरह के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ट्रांसकोर्प की देयता को अस्वीकार करता है। अनधिकृत उपयोग के मामले में दायित्व अनधिकृत उपयोग पर लागू ट्रांसकोर्प की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा शासित होगा।
- घ. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के खो जाने या चोरी हो जाने या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के दुरुपयोग के मामले में, ग्राहक ट्रांसकोर्प की किसी भी शाखा/संपर्क केंद्र को तुरंत सूचित करेगा। ग्राहक सभी अनधिकृत लेनदेन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा जब तक कि ग्राहक ट्रांसकोर्प को अनधिकृत पर और प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लागू शुल्क के भुगतान पर खो जाने/चोरी हो जाने के एवज मे ग्राहक को एक नया इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाएगा।
- ड. पीपीआई का उपयोग पीपीआई के प्रकार और विशेषताओं के आधार पर किसी भी अनुमत लेनदेन में किया जा सकता है। ट्रांसकोर्प द्वारा बनाए गए लेनदेन के रिकोर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होंगे।
- च. ट्रांसकोप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में किसी भी बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
- छ. ट्रांसकोप द्वारा जारी पीपीआई जारी होने की तारीख से 5 साल की अवधि तक (गिफ्ट कार्ड के लिए वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 1 वर्ष होगी) तक वैध होगी। ट्रांसकोप ग्राहक को पीपीआई की वैधता अवधि

समाप्त होने से 45 दिन पहले ग्राहक के पंजिकृत नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा। ग्राहक को इंस्ट्रूमेंट की समाप्ति से पहले शेष राशि का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि ग्राहक वैधता अवधि के भीतर शेष राशि का उपयोग नहीं करता है, तो ग्राहक बकाया राशि की वापसी/हस्तांरण के लिए ट्रांसकोर्प से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक नियामक द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट अवधि के भीतर ट्रांसकोर्प से संपर्क से संपर्क नहीं करता है, तो बकाया राशि को एक फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या अन्यथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुमापन में।

- ज. ग्राहक द्वारा किए गए मुआवजे के किसी भी दावे को पूरी तरह से ट्रांसकोर्प की ग्राहक शिकायत नीति के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

3. गोपनीयता:- यहां ग्राहक सभी सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा, जिसमें इस “नियम और शर्तों” के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के दौरान दूसरे द्वारा प्रकट या गोपनीय रखी जा सकने वाली जानकारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। दूसरे पक्ष की पूर्वानुमति के बिना न तो ग्राहक और न ही ट्रांसकोर्प किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा करेंगे। यह क्लॉज ट्रांसकोर्प द्वारा जारी पीपीआई की समाप्ति से बचेगा। इस खंड के अपवाद निम्नलिखित हैः—
  - अ. पहले से ही सार्वजानिक डोमेन मे जानकारी,
  - ब. ऐसी जानकारी जो प्रकट करने वाले पक्ष द्वारा किसी भी कानून, नियमों या विनियमों के तहत या किसी न्यायालय, प्राधिकरण, दिव्यूनल या फोरम के आदेश या निर्देश के अनुसार प्रकट करना आवश्यक है।
4. जानकारी मे बदलावः— ग्राहक ट्रांसकोर्प/पार्टनर/एसोसिएट को ग्राहकों के डाक पते में किसी भी बदलाल के बारे में भी सूचित करेगा। इसके अलावा, ग्राहक ट्रांसकोर्प को नाम, टेलिफोन नंबर या मोबाइल नंबर जैसे विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में भी सूचित करेगा।
5. असाइनमेंट पर रोकः— इन “नियमों और शर्तों” के तहत कार्यों, अधिकारों या दायित्वों को ट्रांसकोर्प की पूर्व लिखित सहमति के बिना ग्राहक द्वारा किसी भी पार्टी या व्यक्ति को सौंपा या सौंपा नहीं जाएगा। “नियमों और शर्तों” के नियमों के उल्लंघन में कोई भी कथित असाइनमेंट या प्रतिनिधिमंडल शून्य और शून्य होगा।
6. पीपीआई का निलंबन या या समाप्ति या रद्द करना या बंद करना:- ट्रांसकोर्प, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, किसी भी समय और शर्तों पर,

जैसा कि वह उचित समझे, पीपीआई को निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत निलंबन या अस्विकार या समाप्त कर सकता हैः—

- अ. ग्राहक के दिवालिया घोषित होने की स्थिति में या ट्रांसकोर्प को ग्राहक की मृत्यु के बारे में कोई सूचना मिलने की स्थिति में,
  - ब. ग्राहक द्वारा इन “नियम और शर्तों” के तहत किसी भी नियम, शर्तों, शर्तों या उसके दायित्वों का उल्लंघन करने की स्थिति में,
  - स. किसी नियामक प्राधिकारण या भारत के किसी न्यायालय या किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी आदेश द्वारा ग्राहक पर लगाए गए किसी प्रतिबंध की स्थिति में।
7. क्षतिपूर्ति— ग्राहक ट्रांसकोर्प, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को किसी भी लागत, खर्च, शुल्क, जो ट्रांसकोर्प कि लिए आवश्यक है या इस तरह के किसी भी दावे, सूट का बचाव करने के लिए आवश्यक है, से क्षतिपूर्ति करेगा। पोपीआई के धारक के रूप में ग्राहक की ओर से चूक या कमीशन, धोखाधड़ी, लापरवाही या चूक के किसी भी कार्य के कारण मांग, अभियोजन, कार्यवाही।
8. अप्रत्याशित घटना— यहां कुछ भी शामिल होने के बावजूद, ट्रांसकोर्प ग्राहक को किसी भी नुकसान, हानि, क्षति या चोट के लिए उतरदायी नहीं होगा जो इसके नियंत्रण से परे कारणों जैसे ज्वार, तूफान, चकवात, बाढ़, बिजली, भूकंप, आग, के कारण होता है। विस्फोट, विस्फोट या ईश्वर का काई अन्य कार्य, युद्ध, विद्रोह, विस्फोट, या इश्वर का कोई अन्य कार्य, युद्ध, विद्रोह, कांति, प्रतिबंध, या मंजूरी, नाकाबंदी, दंगा, नागरिक हंगामा, श्रमिक कार्रवाही या अशांति जिसमें हड्डताल, तालाबंदी या बहिष्कार, रुकावट या किसी उपयोगिता सेवा की विफलता शामिल बहिष्कार, रुकावट या किसी उपयोगिता सेवा की फिलता शामिल है, दुश्मन की कार्रवाही, आपराधिक साजिश, आतंकवाद या बर्बरता का कार्य, तोड़फोड़, हैकिंग, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक हस्तक्षेप या घुसपैठ, उपग्रहों को नुकसान या क्षति, उपग्रह लिंकेज या किसी अन्य डेटा संचार लिंकेज की हानि, कनेक्टिविटी की हानि या कोई अन्य अप्रतिरोध्य बल या मबबूरी।
9. नोटिस की सेवा— इस “नियम और शर्तों” के तहत दिए जाने के लिए आवश्यक कोई भी नोटिस या संचार बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पावती के खिलाफ या पंजीकृत डाक द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा हाथ से वितरित किया गया हो। ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यालय का पता (यदि ट्रांसकोर्प को नोटिस दिया जाना है) और ग्राहक को नोटिस लिए जाने की स्थिति में ट्रांसकोर्प के साथ दर्ज पता।

- 10. शिकायत निवारण:-** किसी भी शिकायत, विवाद, शिकायत को ट्रांसकोर्प की शिकायत निवारण नीति के अनुसार ट्रांसकोर्प को संबोधित किया जाएगा।
- 11. शासी भाषा:-** सभी कार्य, दस्तावेज और लेखन जो निष्पातित किए जा सकते हैं और सभी पत्राचार जो ग्राहक और ट्रांसकोर्प के बीच इन 'नियम और शर्तें' के विषय के संबंध में आदान-प्रदान किए जा सकते हैं, अंगेजी भाषा में होंगे, जो यहां ग्राहक और ट्रांसकोर्प के बीच शासी भाषा होगी।
- 12. शासी कानून और क्षेत्राधिकार:-** ग्राहक द्वारा पीपीआई का उपयोग भारत में लागू कानूनों द्वारा सभी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। ग्राहक जयपुर में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में जमा करने के लिए सहमत है। ये "नियम और शर्तें" सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों / ट्रांसकोर्प द्वारा जारी किए गए नोटिस और नियमों, विनियमों, उप-कानूनों संचालन निदेशों और नियामक द्वारा जारी परिपत्रों / विज्ञप्ति / नोटिस के अधीन होंगे।
- 13. "नियमों और शर्तें" में बदलाव:-** ट्रांसकार्प किसी भी समय किसी भी "नियमों और शर्तें" में संशोधन करने, हटाने, संशोधित करने बदलने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 14. संपर्क केंद्र विवरण:-** किसी प्रश्न के मामले में, कृपया 7597182222 पर फोन करें। आप card@transcorpint.com पर भी लिख सकते हैं। विवरण www.transcorpint.com/cards. पर देखे जा सकते हैं।
- 15. नवीनतम व्यापक लागू "नियमों और शर्तें"** के लिए कृपया ट्रांसकोर्प की वेबसाइट पर प्रदर्शित "नियमों और शर्तें" देखें। ट्रांसकोर्प के साथ व्यवहार करते समय यह समझा जाएगा कि ग्राहक ने संपूर्ण "नियमों और शर्तें" पढ़ और समझ ली है।